NRrhlx< xg fuekZ.k eMy] e[;ky;] 'kdj uxj jk;iqj

mi vfHk;rk ¼flfoy½ d in ij Hkrh grq iu% l;Dr dkmflfyx

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग बोर्ड, नगरीय प्रशासन विभाग

%% foKkiu %%

उपअभियंता (सिविल) के पद पर भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर द्वारा दिनांक 13.01.2013 को संयुक्त परीक्षा आयोजित की जाकर परीक्षा परिणाम दिनांक 05.02.2013 को घोषित किया गया है। इस परीक्षा परिणाम के संयुक्त मेरिट सूची के आधार पर प्रमाण पत्रों की जांच संयुक्त रूप से किये जाने हेतु सभी 6 विभागों के वास्तविक रिक्तियों की संख्या के मान से प्रथम कांउसिंलिंग दिनांक 12.03.2013 से 15.03.2013 तक दिनांक 08.04.2013 से 09.04.2013 एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रायपुर द्वारा दिनांक 07.09.2013 को कांउसिंलिंग की गई । इस कांउसिंलिंग के पश्चात् शेष रिक्त पदों एवं संभावित रिक्तियों (प्रतीक्षा सूची) के लिए पुनः कांउसिंलिंग दिनांक 28.01.2014 को किया जायेगा । अभ्यार्थियों से संलग्नानुसार बायोडाटा संयुक्त परीक्षा का प्रवेश–पत्र (Admit Card), स्थायी जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन, जन्म तिथि प्रमाण पत्र हाई स्कूल (10वीं), हायर सेकेण्ड्री (12वीं), डिप्लोमा/डिग्री उत्तीर्ण समस्त सेमेस्टर के अंकसूची की मूल प्रमाण पत्र सहित उसकी सत्यापित छायाप्रति सहित दिनांक 28.01.2014 सुबह 10.00 से 5.00 बजे तक संवर्गवार उक्त तिथि को रायपुर ट्रेनिंग सेंटर, ओ.सी.एम. चौक, रायपुर में उपस्थित होना है। किसी भी वांछित प्रमाण पत्र के अभाव में अभ्यार्थी को कांउसिलिंग में प्रवेश नही दिया जावेगा। निर्धारित तिथि में उपस्थित नही होने वाले अभ्यार्थी के प्रकरण पर पुनः विचार नही किया जावेगा, जिसके लिये वे स्वयं उत्तरदायी होंगे, इसके लिये उन्हे पृथक से कोई सूचना नही दी जावेगी। अभ्यार्थी द्वारा एक बार वांछित विभाग का चयन कर लेने के पश्चात् अन्य विभाग में परिवर्तन नही किया जावेगा। जो अभ्यार्थी पूर्व में अनुपस्थित रहें/जिन्हें किसी कारण से अमान्य किया गया है उन्हें इस कांउसिंलिंग में शामिल नहीं किया जायेगा।

कांउसिलिंग में उपस्थित होने वाले अभ्यार्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा। कांउसिलिंग में वांछित संख्या में अभ्यार्थी मेरिट क्रम में उपलब्ध हो जाने पर आगे की कांउसिलिंग की कार्यवाही नही की जावेगी। कांउसिलिंग प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद या समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार नियुक्तिकर्त्ता अधिकारी को होगा।

iu% dkmflfyx dh frfFkokj tkudkjh %&

l-Ø-	loxi	l;Dr efjV lph dk jd Øekd	dkmflfyx fnukd	fjekd
1	2	3	4	5
1	मुक्त वर्ग अ.पि.व. मुक्त (महिला वर्ग) अ.पि.वर्ग (महिला वर्ग) अ.जा. (महिला वर्ग) अ.ज.जा. (महिला वर्ग) अ.ज. अ.ज.जा.	407 से 500 410 से 485 1244 से 1416 रिजल्ट (अद्यतन स्थिति) में अभ्यार्थी उपलब्ध नहीं है । – तदैव – 1285 से 1549 2988 एवं 2989	28.01.14	

NRrhlx< xg fuek.k eMy] e[;ky;] 'kdj uxj jk;ij

उप अभियंता (विद्युत) के पद पर भर्ती हेतु संयुक्त काउंसिलिंग

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, जल संसाधन विभाग

%% foKkiu %%

उपअभियंता (विद्युत) के पद पर भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर द्वारा दिनांक 17.03.2013 को संयुक्त परीक्षा आयोजित की जाकर परीक्षा परिणाम दिनांक 27.05.2013 को घोषित किया गया है। परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात् विज्ञप्ति में दी गई कंडिकाओं के अनुरूप मेरिट आधार पर परीक्षा उत्त्तीर्ण किये गये अभ्यार्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जांच संयुक्त रूप से किये जाने हेतु कांउसिलिंग किया जाना है। अभ्यार्थियों से संलग्नानुसार बायोडाटा संयुक्त परीक्षा का प्रवेश–पत्र (Admit Card), स्थायी जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन, जन्म तिथि प्रमाण पत्र हाई स्कूल (10वीं), हायर सेकेण्ड्री (12वीं), डिप्लोमा/डिग्री उत्त्तीर्ण समस्त सेमेस्टर के अंकसूची की मूल प्रमाण पत्र सहित उसकी सत्यापित छायाप्रति सहित दिनांक 27.01.2014 सुबह 10.00 से 5.00 बजे तक संवर्गवार उक्त तिथि को रायपुर ट्रेनिंग सेंटर, ओ.सी.एम. चौक, रायपुर में उपस्थित होवें। *जिन अभ्यथियों द्वारा आवेदन पत्र, डाकघर में जमा करने की अंतिम तिथि 23.02.2013 तक, रोजगार कार्यालय में पंजीयन करा लिया गया हो तथा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर डिप्लोमा/डिग्री उत्त्तीर्ण समस्त सेमेस्टरों की अंकसूची प्राप्त कर ली गई हो, वे ही अभ्यर्थी कांउसिलिंग में प्रवेष हेतु पात्र होंगे* / किसी भी वांछित प्रमाण पत्र के अभाव में अभ्यार्थी को कांउसिलिंग में प्रवेश नही दिया जावेगा। निर्धारित तिथि में उपस्थित नही होने वाले अभ्यार्थी के प्रकरण पर पुनः विचार नही किया जावेगा, जिसके लिये वे स्वयं उत्तरदायी होंगे, इसके लिये उन्हे पृथक से कोई सूचना नही दी जावेगी। अभ्यार्थी द्वारा एक बार वांछित विभाग का चयन कर लेने के पश्चात् अन्य विभाग में परिवर्तन नही किया जावेगा। जो अभ्यार्थी पूर्व में अनुपस्थित रहे है/जिन्हें किसी कारण से अमान्य किया गया है उन्हें इस कांउसिलिंग में शामिल नहीं किया जायेगा ।

कांउसिलिंग में उपस्थित होने वाले अभ्यार्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा। कांउसिलिंग में वांछित संख्या में अभ्यार्थी मेरिट क्रम में उपलब्ध हो जाने पर आगे की कांउसिलिंग की कार्यवाही नही की जावेगी। कांउसिलिंग प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद या समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार नियुक्तिकर्त्ता अधिकारी को होगा। यह विज्ञप्ति इस विभाग की वेबसाईट http://www.cghb.gov.in पर भी देखी जा सकती है ।

dkmflfyx dh frfFkokj tkudkjh

l-Ø-	lox	l;Dr efjV lph dk jd Øekd	dkmflfyx fnukd
1	2	3	4
1	मुक्त वर्ग मुक्त (महिला वर्ग) अ.पि.व अ.पि.व (महिला वर्ग) अ.जा. अ.जा. (महिला वर्ग) अ.ज.जा. अ.ज.जा. (महिला वर्ग) भूतपूर्व सैनिक	00064 से 00127 00963 से 01234 00087 से 00156 01082 से 01949 00418 से 00669 02897 से 03408 01031 से 01444 05554 से 06568 08504	27.01.2014

vij vk;Dr
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, रायपुर